राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2019/186-VC

सुनवाई की तिथि – 27.07.2020

***

श्री मोहम्मद यामीन पुत्र श्री रमजानी निवासी ग्राम मिलक पापड़ी, जनपद अमरोहा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के क्रम में डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 27.07.2020. समय 14:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री संदीप कुमार, निजी सचिव माननीय उपाध्यक्ष
3. श्री जेरविशंकर ., अवर सचिव
4. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2. शिकायतकर्ता

उपस्थित पक्षगण :-

1. मोहम्मद यामीन

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. एस.ई., पीवीवीएनएल, श्री एसिंह .क.
2. ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह
3. ओ.ए.,पीवीवीएनएल, श्री मुनीश चंद्रा

संलग्नक :-

1. शिकायतकर्ता मोहम्मद यामीन द्वारा प्रेषित शिकायत एवं अन्य संलग्नक |
2. उपरोक्त उपस्थित अधिकारीगण द्वारा प्रेषित आख्या |

सुनवाई / जाँच का विवरण :-

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मे उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 06-12-2019 को श्री मोहम्मद यामीन का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। जिसके संबंध मे पत्र क्रमांक D.O. No. NCBC/DO/2019/186-VC दिनाँक 09-12-2019 द्वारा प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,मेरठ, उत्तर प्रदेश को इस संबंध मे कार्यवाही कर उसकी आख्या आयोग मे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस सम्बन्ध मे कोई आख्या प्राप्त नहीं होने पर एक अनुस्मारक पत्र 06-01- को 2020प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,मेरठ, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था। इसके पश्चात एक आख्या दिनांक 04-01-2020 को प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,मेरठ, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति ने उक्त विषय पर एक सुनवाई 20-02-2020 को नियत की और सुनवाई मे प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को बुलाया गया । उक्त सुनवाई को माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार रद्द कर दिया गया | इसी क्रम में दूसरी सुनवाई 27-07-2020 को नियत की गयी तथा सुनवाई मे प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,मेरठ, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति अपेक्षित की गयी ।

आवेदक श्री मोहम्मद यामीन द्वारा लगाये गए आरोप :-

उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक श्री मोहम्मद यामीन पुत्र श्री रमजानी निवासी ग्राम मिलक पापडी जिला अमरोहा का निवासी है | आवेदक के पास एक आटा चक्की है जिसमे आवेदक द्वारा 11हॉर्स पॉवर का कनैक्शन लिया हुआ है | आवेदक समय पर अपना विद्युत बिल जमा करता रहा है । समस्त जमा किए हुआ बिल की रसीद आवेदक के पास है। दिनांक14 -06- को अचानक 2018आवेदक की चक्की पर रात्रि को विजिलेंस अधिकारी अंजना सिंह और उनकी टीम ने छापा मारा, परंतु चक्की पर कुछ भी गलत नहीं पाया गया। तब भी अधिकारी चक्की चलाने के बदले तीन लाख रूपये की मांग करने लगी । प्रार्थी ने डर की वजह से एक लाख रूपये की रकम उनको दे दी और लाख रूपये दिन में देने की बात कही जिस पर अंजना सिंह भड़क गई 2 और सारी रकम उसी समय देने की बात कही। जबआवेदक रात्रि में पैसे की व्यवस्था ना कर सका तब वे अधिकारी गलत आरोप लगाकर मीटर और ट्रांसफॉर्मर उतार कर ले गये। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक पर आरोप लगाया गया कि बिजली बाईपास द्वारा चल रही थी जो कि गलत है क्योंकि उसकी रीडिंग एक्शन व एस0डी0ओ0 द्वारा उसकी रीडिंग 18600 यूनिट पाई गयी जिसकी रसीद प्रार्थी को दी गयी जबकि अधिकारी अंजना सिंह मीटर खली अपनी रिपोर्ट में दर्शाती रही जो कि गलत है | आवेदक को परेशान करने कि नियत से आवेदक को अलग अलग तीन नोटिस जारी किये गए | एक में 22,88,623/- व दूसरे नोटिस में 16,85,000/- और तीसरे में 12,72,000 रूपये का दिया गया जोकि नियम के विपरीत है |

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

शिकायतकर्ता,मोहम्मद यामीन:

दिनांक14 -06-को अचानक 2018 मेरी चक्की पर रात्रि को विजिलेंस अधिकारी अंजना सिंह और उनकी टीम ने छापा मारा परंतु उनको कुछ भी गलत नहीं मिला। इन लोगो के द्वारा तीन लाख रूपये की माँग की गई और रूपये ना दे पाने पर झूठे आरोप लगा कर अधिकारियों ने मीटर और ट्रांसफॉर्मर उतरवा लिया व अपने साथ ले गये और आख्या में असत्य तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

क्या आप बिजली चुराते हुए पकड़े गए थे?

शिकायतकर्ता, मोहम्मद यामीन:

विजिलेंस टीम में मैडम अंजना सिंह ने जो लिखित आख्या प्रस्तुत की है उस में जो जानकारी प्रदान की है वो गलत है। उन्होने अपनी आख्या में आटा चक्की को 25हॉसपॉवर की मोटर संचालित लिखा है जब की मेरी आटा चक्की केवल 11हॉर्स पॉवर की है।

ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह :

महोदय, विजिलेंस टीम ने चैक किया था और पूरे कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गयी थी। जिसे से यह पता चलता है कि इन्होने बिजली चोरी के लिए अलग से तार डाल रखा था ।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

क्या आपने (शिकायतकर्ता) अलग से तार डाला था?

शिकायतकर्ता,मोहम्मद यामीन:

जी नहीं, महोदय। विजिलेंस टीम के लोग गेट कूदकर मेरे घर के अंदर आ गए थे और मुझसे मोटी रकम की मांग करने लगे थे। मैने दो पत्र इनके कार्यालय में जमा करवाने के लिए दिये थे परंतु इन्होने वो पत्र लेने से इंकार कर दिया। यह पत्र मंत्री जी और चेयरमैन द्वारा दिये गये थे | मेरी शिकायत के समाधान के लिए। इन पत्रो में मेरे द्वारा समय पर बिल जमा करने और उनके रसीद के सत्यापन के बारे में लिखा गया है और पत्र के साथ सारे बिल की कॉपी और रसीद की कॉपी भी लगी हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

पत्र कौन से डिपार्टमेंट के चेयरमेन द्वारा लिखा गया था?

शिकायतकर्ता, मोहम्मद यामीन:

सभापति, सार्वजानिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति जी द्वारा

ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह:
महोदय, जो जांच आख्या प्रस्तुत की उसमे इनकी मीटर की रीडिंग Not Visible लिखा गया है और मीटर के जांच के बाद इनकी रीडिंग 18, 000दर्शाया गया है। C-Phase से सीधी लाइन ले रखी थी यह आरोप लगाये गये है शिकायतकर्ता पर।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
पर यह जो आख्या प्रस्तुत की गयी है उस में तो मीटर की रीडिंग तो लिखा हुआ है। 0

ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह:
महोदय, एफ़आईआर में 0नहीं Not Visible लिखा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
जो एफ़आईआर हुई, उसकी जाँच पड़ताल में क्या हुआ उसकी जानकारी दे?

ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह:
महोदय,जो एफ़आईआर हुई है वो विजिलेंस टीम द्वारा की गयी है। मेरी अभी नयी तैनाती हुई है। मैं रिपोर्ट को पूरी तरह से जाँच करके और सारे दस्तावेजों को अच्छी तरह से चैक करके ही आपको सारी जानकारी दे पाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
एफ़आईआर में जो जानकारी लिखी गयी है वो वास्तविक तथ्यों से इतनी अलग क्यों है? एफ़आईआर में मीटर की रीडिंग लिखी हुई है और 0शिकायतकर्ता के आटा चक्की को 25हॉर्स पॉवर का दिखाया गया है जबकी शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने 11 हॉर्स पॉवर का कनैक्शन लिया हुआ है।

शिकायतकर्ता,मोहम्मद यामीन:
महोदय, यह मेरा ट्रांसफार्मर जो मैने लगवाया था वो भी निकाल के ले गये है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
क्या यह सत्य है कि आप इनका ट्रांसफार्मर भी निकाल कर ले गये है ऐसा क्यों किया गया है?

ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह:
महोदय, ट्रांसफार्मर इसलिए उतारा गया है ताकि यह आगे चोरी ना कर सके जब तक मामले की जाँच चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
क्या यह किसी एक्ट में लिखा गया है कि चोरी की शिकायत और उसकी जाँच के दौरान मीटर के साथ ट्रांसफार्मर भी ले जा सकते हैं।

एस.ई., पीवीवीएनएल, श्री ए:सिंह .क.
महोदय, जो भी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसकी साल की वारंटी होती है 3। इन सालों में अगर कुछ भी खराबी 3 आती है तो यहउपभोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह उसको विद्युत विभाग से उसको बदली करवा सकते है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
मैं यह जानना चाहता हूँ कि "ट्रांसफार्मर उतार के ले जा सकते हैं" ऐसा किसी एक्ट (अधिनियम) अथवा नियमावली में लिखा हुआ है? अगर किसी ट्रांसफार्मर में एक से ज्यादा कनैक्शन हो तो क्या उस मामले में भी आप ट्रांसफार्मर उतार के ले जाएंगे?

एस.ई., पीवीवीएनएल, श्री ए:सिंह .क.
महोदय, अगर ट्रांसफार्मर में केवल एक ही कनैक्शन हो तो उसको उतारा जा सकता है। शिकायतकर्ता की कुछ रकम भी शेष है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
किस एक्ट के तहत आप ट्रांसफार्मर उतार कर ले जा सकते हैं आयोग को उसकी जानकारी प्रदान करे ।

एस.ई.,पीवीवीएनएल, श्री ए:सिंह .क.
यह जो प्रकरण शिकायतकर्ता का है। यह पुराना प्रकरण है हमारी पोस्टिंग अभी हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
इनकी शिकायत के साथ सारे दस्तावेज़ संलग्न है। उसमें सारे बिल एवं रसीद लगे हुआ है।

ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह:
महोदय, शिकायतकर्ता के ऊपर 3. लाख 5देय राशि है ।

शिकायतकर्ता, मोहम्मद यामीन:
महोदय, मैने सारे बिल जमा किये हुए है, सबकी रसीद मेरे पास है एवं उन रसीद की कॉपी शिकायत पत्र के साथ लगा कर आयोग में प्रस्तुत किया हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
आप शिकायतक के सम्बन्ध में सक्षमता से पक्ष रखे अन्यथा आयोग में प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाएगा।

एस.ई., पीवीवीएनएल, श्री ए:सिंह .क.
महोदय, हम सारे दस्तावेजों को देख कर और उनकी जाँच कर के आयोग में पूरी जानकारी दे देंगे।

ई.ई., पीवीवीएनएल, श्री रोहतास सिंह:
महोदय, हम जाँच कर के आप को अगली तारीख को पूरी जानकारी दे देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
शिकायतकर्ता का ट्रांसफार्मर किस एक्ट के अंतर्गत उतारा गया है उसकी भी जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे।

<u>सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्य / निष्कर्ष :-</u>

उक्त प्रकरण में प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन एवं परीक्षणोंपरांत आयोग को यह प्रतीत होता है कि प्रकरण के निस्तारण में निम्नलिखित प्रश्नों का मय-अभिलेख स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित होगा |

1. श्री मोहम्मद यामीन को उक्त परिसर के सम्बन्ध में विभाग द्वारा माह मई 2017 से मई 2018 तक प्रेषित समस्त विद्युत बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
2. श्री मोहम्मद यामीन को उक्त परिसर के सम्बन्ध में विभाग द्वारा माह मई 2017 से मई 2018 तक प्रेषित समस्त विद्युत बिल के भुगतान सम्बन्धी विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
3. उक्त परिसर के सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2018 को प्रवर्तल दल द्वारा विद्युत चैकिंग की गयी, चैकिंग की सम्पूर्ण आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
4. उक्त परिसर के सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2018 को प्रवर्तल दल द्वारा विद्युत चैकिंग की गयी, चैकिंग के दौरान प्राप्त समस्त साक्ष्य जिनके आधार पर राजस्व बकाया जारी करने की कार्यवाही की गयी, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
5. प्रवर्तन दल द्वारा थाना अमरोहा देहात में विद्युत चोरी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, उक्त प्राथमिकी एवं पुलिस द्वारा की गयी जांच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
6. उक्त परिसर के सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2018 को प्रवर्तल दल द्वारा विद्युत चैकिंग की गयी, चैकिंग के दौरान अभिग्रहण की गयी वस्तुओं कि सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
7. उक्त परिसर के सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2018 को प्रवर्तल दल द्वारा विद्युत चैकिंग की गयी, चैकिंग के दौरान अभिग्रहण किये गए ट्रांसफोर्मर जिसे उपभोक्ता द्वारा क्रय किया गया था, को अभिग्रहण करने में प्रयुक्त नियम/अधिनियम आदि का उल्लेख व अधिकारिक पुष्टि करे तथा उल्लेखित नियम/अधिनियम की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
8. उक्त परिसर के सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2018 को प्रवर्तल दल द्वारा विद्युत चैकिंग की गयी, चैकिंग के दौरान अधिकारी सुश्री अंजना सिंह द्वारा रीडिंग कितनी अवगत करायी गयी |
9. अधिशासी अभियंता द्वारा प्रेषित आख्या में 3,78658.70/- बकाया निकला गया, के दौरान प्राप्त मीटर कि रीडिंग से अवगत कराये |

10. राजस्व निर्धारण करते समय लोड के रूप में 25 हॉर्स पॉवर का लोड निर्धारित किया गया, 25 हॉर्स पॉवर के लोड को उचित मानने के लिए प्राप्त साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
11. शिकायतकर्ता श्री मोहम्मद यामीन द्वारा लगाये गए आरोपों के सम्बन्ध में जो जांच की गयी कि जाँच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे | यदि, जाँच नहीं की गयी तो जाँच न करने का कारण व स्पष्टीकरण दें | अधिकारिक पुष्टि करे कि उक्त प्रकरण में विभागीय जांच किसके द्वारा की जानी थी |
12. उक्त प्रकरण में श्री राम चन्द्र यादव, सभापति सार्वजानिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा मुख्य अभियंता को प्रेषित पत्र दिनांक 05/09/2019 में आपेक्षित कार्यवाही की आंख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे | यदि, कार्यवाही नहीं की गयी तो कार्यवाही न करने का कारण व स्पष्टीकरण दें |
13. रोजगार समाप्त होने कि दशा में भी आवेदक द्वारा किये गए स्थायी अथवा अस्थायी कनेक्शन के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नियम/अधिनियम आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
14. उपरोक्त के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता पर आरोपित राजस्व बकाया के सम्बन्ध में प्रयुक्त नियमावली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |

सुनवाई के दौरान उत्तर न दिए जाने पर ज्ञात होता है कि उपस्थित अधिकारीगण प्रकरण के सम्बन्ध में पक्ष रखने में अक्षम है | **आयोग द्वारा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अधिकारियो द्वारा अपेक्षित आख्या एवं जानकारी उपलब्ध न करा पाने के क्रम में जांच विचाराधीन रहने तक किसी भी कार्यवाही के किये जाने से निषिद्ध किया जाना अपेक्षित किया जाता है |** उक्त प्रकरण के निस्तारण में आयोग द्वारा आपेक्षित स्पष्ट एवं साक्ष्यो सहित बिन्दुवार आख्या 15 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

जे. रविशंकर

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग